सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 3 राँची, मंगलवार, 12 पौष, 1939 (श०)
2 जनवरी, 2018 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

26 जून, 2015

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत समावेशन मानकों में संशोधन तथा लाभुक/लाभुक परिवारों की पहचान के संबंध में ।

संख्या - खा.आ. 01/ज.वि.प्र./07/2011 - 3340, -- विभागीय संकल्प संख्या 3297 दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 एवं संकल्प संख्या 879 दिनांक 17 मार्च, 2015 के द्वारा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करने के लिए लाभुक/लाभुक परिवारों के चयन हेतु समावेशन एवं अपवर्जन संबंधी मानक निर्धारित किये गये हैं तथा लाभुक/लाभुक परिवारों के चयन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भी निर्धारित की गयी है ।

2. वर्तमान में जिलों से प्राप्त सूचनानुसार जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु अपवर्जन मानकों के आधार पर सत्यापित लाभुक परिवारों की संख्या के अतिरिक्त अलग से आवेदन प्राप्त हुये हैं । आवेदनों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुक/लाभुक परिवारों के रूप में आच्छादित करने के पूर्व आवश्यक है कि

इन आवेदनों की सम्यक जाँच करायी जाय । उक्त जाँच हेतु संबंधित उपायुक्तों को प्राधिकृत किया जाता है । संबंधित उपायुक्त निम्न प्रकार से कार्रवाई करेगें : -

(क) प्राप्त आवेदनों को प्रखंडवार पंजीकृत करेगें ।

(ख) पंजीकृत आवेदनों की भौतिक जाँच/सत्यापन कराया जाय कि उक्त आवेदन वैसे व्यक्तियों/परिवारों से प्राप्त नहीं है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपवर्जन मानक के आधार पर आच्छादित किये जा चुके हैं ।

तत्पश्चात् यह जाँच करायी जाय कि आवेदक निर्धारित अपवर्जन मानकों के आलोक में आच्छादन से वर्जित है अथवा नहीं ।

(ग) आच्छादन से वर्जित नहीं होने की स्थिति में अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने वाले परिवारों के मुखिया से स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जायेगा ।

(घ) ऐसे परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आच्छादित करने हेतु जिलों द्वारा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को परिवारों (ग्रामीण एवं शहरी) की सूची उपलब्ध कराते हुए सम्मलित किये जाने का प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा जिस पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आलोक में विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

3. राज्य के शहरी क्षेत्रों में अपवर्जन मानकों के आधार पर निर्धारित संख्या से कम योग्य परिवारों का चयन हो पाया है । उक्त परिस्थिति में यह आवश्यक है कि शहरी क्षेत्रों में समावेशन मानकों को संशोधित करते हुए इनमें समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/परिवारों को सम्मिलित किया जाय । उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 3297 दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 के कंडिका 07 में उल्लेखित छः (06) समावेशन मानकों के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित वर्गों को भी शामिल किया जाता है:-

(क) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper) ।

(ख) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/ राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker) /रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela Puller) ।

(ग) फूटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/ नलसाज (Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler) ।

4. किसी भी परिवार की आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप परिवारों की पात्रता में भी परिवर्तन होना स्वभाविक है । अतः यह प्रावधानित किया जाना आवश्यक है कि वैसे परिवार जो वर्तमान में पात्रता नहीं रखते हैं अथवा भविष्य में अपात्र हो जायें उन्हें लाभुक परिवारों की सूची से हटाया जाय ।

अयोग्य परिवारों को जाँचोपरान्त सूची से हटाने तथा रिक्तियों को भरने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से समय-समय पर निर्गत संकल्पों/आदेशों/ निर्देशों के आलोक में कार्रवाई हेतु संबंधित जिलों के उपायुक्तों को प्राधिकृत किया जाता है । उपायुक्तों द्वारा इसका अनुमोदन खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ।

5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भविष्य में समावेशन एवं अपवर्जन मानकों में आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को प्राधिकृत किया जाता है ।

6. अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुकों को निर्गत राशन कार्ड पीला रंग का होगा ।

7. विभागीय संकल्प संख्या 3297 दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 एवं 739 दिनांक 9 मार्च, 2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 3 -- 200